राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 428/2013

रमेश चन्द मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), जयपुर रेंज, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा), जयपुर।
4. चेतराम मीणा, वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, Ambadi, सिकराय, दौसा जरिये जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा), दौसा पदस्थापित।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.06.2013

आदेश की दिनांक : 12.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री कमलेश कुमार शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खांण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.04.2013 को अपास्त कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के विरूद्ध नियमानुसार एसटी वर्ग कोटा के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे और समस्त पारिणामिक लाभ मय शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भी भुगतान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर रिक्ति वर्ष 1999–2000 के विरूद्ध हुई थी और मेरिट आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की गई, जिसमें कंफरमेशन से संबंधित कोई मतलब नहीं था और अपीलार्थी आदेश दिनांक 21.08.2003 के द्वारा दिनांक 01.07.2001 से कंफर्म किया गया। अंग्रेजी विषय के अंतर्गत अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति का हकदार था, जो वर्ष 1998–3000 की वरिष्ठता सूची जो बीईईओ जमवारामगढ़ द्वारा तैयार की गई और इस प्रकार अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किये जाने योग्य था, परंतु दिनांक 30.05.2001 के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लालवास अंग्रेजी विषय के लिये पदस्थापित कर दिया गया। परंतु नियम, 2008 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिये रेंज वाईज आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की गई, जो पहले जिला वाईज हुआ करती थी। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 02.04.2013 के द्वारा रेंज वाईज पदोन्नति अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर दी गई, जिसमें श्री चेतराम मीणा एवं अन्य जिनकी नियुक्ति वर्ष 2005–06 थी, उन्हें एसटी कोटे के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान कर दी गई, जो नियम विरूद्ध है। जबकि अपीलार्थी उक्त कार्मिक से वरिष्ठ होते हुये भी अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई, जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.04.2013 को अपास्त कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के विरूद्ध नियमानुसार एसटी वर्ग कोटा के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे और समस्त पारिणामिक लाभ मय शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भी भुगतान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर वर्ष 2011–12 की डीपीसी से पदोन्नति की जाकर आदेश दिनांक 17.12.2014 के द्वारा पदस्थापन किया जा चुका है और इसके उपरांत आयोजित रिव्यू डीपीसी में इनका चयन वर्ष 2008–09 कर दिया गया है, जो अनुलग्नक आर–1 एवं आर–2 है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निष्फल हो गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति

उपरांत शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जबकि अपीलार्थी पदोन्नति उपरांत उक्त पद का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी था और न ही अपीलार्थी को शेष राशि पर ब्याज का भुगतान किया गया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर रिक्ति वर्ष 1999–2000 के विरूद्ध हुई थी और मेरिट आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की गई और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.08.2003 के द्वारा दिनांक 01.07.2001 से कंफर्म किया गया। नियम, 2008 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिये रेंज वाईज आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की गई, जो पहले जिला वाईज हुआ करती थी। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 02.04.2013 के द्वारा रेंज वाईज पदोन्नति अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर दी गई, जिसमें श्री चेतराम मीणा एवं अन्य जिनकी नियुक्ति वर्ष 2005–06 थी, उन्हें एसटी कोटे के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान कर दी गई। जहां तक अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत नहीं किये जाने एवं उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर वर्ष 2011–12 की डीपीसी से पदोन्नति दी गई, परंतु आदेश दिनांक 11.04.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष रिव्यू करते हुये डीपीसी वर्ष 2008–09 में चयन किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रदान किया जाना प्रकट होता है। जहां तक अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति उपरांत शेष राशि का भुगतान नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि उसे वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति उपरांत शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया है, चूंकि सेवा नियमों के अनुसार अपीलार्थी ने वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति उपरांत जिस तिथी से पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण किया है, उसी तिथी से वेतन आदि का लाभ प्रदान किया जाता है। इस प्रकार अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति उपरांत नियमानुसार शेष राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट नहीं होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य